(राजस्थान सरकार)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं
पीठासीन अधिकारी:—
सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.— 157 / 2022

जीसीएमएस नम्बर :— 2022 / 458

1. बाबूलाल पुत्र रतिराम जाति अहीर निवासी रायपुर अहीरान तहसील बुहाना जिला—झुंझुनू राज0

............प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

............अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा बाबत— धारा 89 भू राजस्व काश्त0 अधिनियम नक्शा दुरूस्ति

—:निर्णय:—

दिनांक:—

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:—

1. यह कि वाके ग्राम रायपुर अहीरान तहसील बुहाना में स्थित कृषि भूमि जमाबंदी के खसरा न. 805 रकबा 0.36 है. खसरा न. 29 रकबा 0.25 है. खसरा न. 41 रकबा 0.46 है. खसरा न. 43 रकबा 0.79 है. खसरा न. 176 रकबा 0.03 है. खसरा न.293 रकबा 0.29 है. खसरा न. 294 रकबा 0.28 है. खसरा न. 304 रकबा 0.24 है. खसरा न.508 रकबा 0.23 है. खसरा न. 616 रकबा 0.23 है. खसरा न. 738 रकबा 0.33 है. खसरा न. 747 रकबा 0.67 है. खसरा न.753 रकबा 0.64 है. खसरा न. 25 रकबा 0.68 है. खसरा न. 45 रकबा 0.84 है. खसरा न. 166 रकबा 0.10 है. खसरा न. 305 रकबा 0.23 है. के खातेदार रतिराम व उदयसिंह पुत्रान किशनाराम हिस्सा 1/2 व 1/2 हिस्सा खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकोर्ड थे।
2. यह कि वादी व उसके गत सह—खातेदार ने दिनांक 08.01.2003 को आपसी सहमती से राजस्व अभियान कैम्प—बुहाना में खाता विभाजन करवा लिया जिनमे खसरा न. 29/1 रकबा 0.13 है खसरा 41/1 रकबा 0.23 है. खसरा न. 43/3 रकवा 0.23 है. खसरा न. 45/1 रकबा 0.47 है. खसरा न. 25 ... 68 है. खसरा न. 293 रकबा 0.29 है. खसरा न 294 रकबा 0.28 है. खसरा ... 0.67 है. खसरा न.

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:47:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

753/2 रकबा 0.22 है, खसरा न. 805/1 रकबा 0.18 है, कुल किता 10 कुल रकबा 3.18 है, प्रार्थी/वादी के हिस्से में आपसी सहमति से विभाजित किये गये जिस पर प्रार्थी/वादी के हिस्से में आये जिस पर वादी/प्रार्थी काबिज काश्त है तथा खसरा न. 29/2 रकबा 0.12 है, खसरा न. 41/2 रकबा 0.23 है खसरा न. 43/1 रकबा 0.73 है, खसरा न. 45/2 रकबा 0.37 है, खसरा न. 166 रकबा 0.10 है, खसरा न. 304 रकबा 0.24 है, खसरा न. 305 रकबा 0.23 है, खसरा न. 616 रकबा 0.23 है खसरा न. 738 रकबा 0.33 है, खसरा न. 753/1 रकबा 0.42 है, खसरा न. 805/2 रकबा 0.18 है, कुल किता 11 कुल रकबा 3.18 है, भूमि उनके सह–खातेदार उदय सिंह पुत्र किशनाराम के हिस्से में आई थी। वादीगण/प्रार्थीगण व उसके सह–खातेदार उदयसिंह पुत्र किशनाराम के दोनों के साझे की कृषि भूमि खसरा न. 43/1 रकबा 0.03 है, खसरा न. 508 रकबा 0.23 है, खसरा न. 176 रकबा 0.03 है, कुल किता 3 कुल रकबा 0.29 है, भूमि संयुक्त खातेदारी की रखी गई थी। खातेदारान अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। जिसको पुराना नक्शा ट्रेस में दिखाया गया है

3. यह कि माननीय न्यायालय श्रीमानजी द्वारा खातेदारों की आपसी सहमति से खाता विभाजन करने के बाद कृषि भूमि का खाता को प्रथककरण (segrition) करते समय खसरा नम्बरों को प्रथककरण नक्शे शीट (लट्ठा शीट) में प्रार्थी के खेत की आकृति को छोटा कर दिया जो कि हाल नक्शा ट्रेस में वादी की भूमि के अन्दर आडी–तिरछी करके दिखाई गई है जबकि वादी के खेत की आकृति को वादी/प्रार्थी के हिस्से व बंटवारे में आये रकबे अनुसार तरमीम करना आवश्यक था जिससे हाल नक्शा ट्रेस में वादी के हिस्से की कृषि भूमि की लम्बाई चौडाई कम दर्शाई गई है जिस कारण वादी के खातेदारी खेत का नक्सा छोटा हो गया इस कारण मोके पर वादी का रकबा पूरा नहीं हो रहा है। हल्का पटवारी/राजस्व कर्मचारियों ने वादी के गत नक्शा को हाल नक्शा ट्रेस में गलत बना दिया जिससे वादी के रकबे को कम दर्शाया है इस कारण वादी को भारी हानि व परेशानी हो रही है। वादी की हकतलवी हो रही है। प्रार्थी/वादी ने गत 5 रोज पूर्व अपनी खातेदारी कृषि भूमि के रकवे अनुसार व आपसी सहमती के अनुसार हुए खाता विभाजन के मुताबिक नक्शा शीट (लट्ठा शीट) को दुरुस्त करने बाबत राजस्व कर्मचारियों को कहा तो राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थी के खातेदारी खसरा नम्बरों की कृषि भूमि व हिस्से अनुमार रकवे को नक्शाशीट में सही रूप से दर्शा कर नक्शे की आकृति को दुरुस्त करने से इन्कार कर दिया अतः यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ। राजस्व कर्मचारियों को खेत की आकृति पक्षकारान के आपसी सहमति में हुए बँटवारे के अनुसार बनाने हेतु इसी कर्मचारी द्वारा निर्देश का सही रूप में पालन नहीं किया जाकर गलत नक्शा बनाने से यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:47:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

4. यह कि वाद के लिए आधार–विवाद खातेदारो की आपसी सहमति से हुए खाता विभाजन के अनुसार खेत की आकृति को नक्शा शीट (लट्ठा शीट) मे cegrition करते समय वादी के हिस्से व कब्जे काश्त के खेत को आकृति मे छोटा बना दिया जिससे वादी का नक्शा छोटा बन गया तथा मोके पर नपती करने से रकबा भी कम हो गया जिसको दुरुस्त करने के लिए राजस्व कर्मचारियों को कहा तो राजस्व कर्मचारियों ने नक्शा दुरुस्त करने मे इनकार कर दिया। इसलिए यह नक्शा दुरुस्ती पेश करना आवश्यक हुआ अतः दावा अन्दर मियाद पेश है।

5. यह कि विवादित भूमि वाके ग्राम रायपुर अहीरान तहसील–बुहाना मे स्थित है जो न्यायालय श्रीमानजी की सीमा मे स्थित है इसलिए यह वाद सुनवाई का अधिकार न्यायालय हाजा को है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–

(क). कि वाके ग्राम रायपरु अहीरान तहसील बुहाना में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 29/1 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 41/1 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 43/3 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 45/1 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 25 रकबा 0.68 है0, खसरा नम्बर 293 रकबा 0.29 है0, खसरा नम्बर 294 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 747 रकबा 0.67 है0, खसरा नम्बर 753/2 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 805/1 रकबा 0.18 है0, कुल किता 10 कुल रकबा 3.18 है0, प्रार्थी/वादी के हिस्से में आपसी सहमति से विभाजित किये गये खसरा नम्बरों जो प्रार्थी/वादी के हिस्से में आये जिस पर वादी/प्रार्थी काबिज काश्त है उक्त खसरा नम्बरान को नक्शा ट्रेस लठ्ठा शीट में रकबे अनुसार नक्शा ट्रेस को दुरुस्त किया जाकर नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने की कृपा करे।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है एवं तहसीलदार बुहाना से 89 राज0 काश्त अधिनियम में विस्तृत तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्रांक 539 दिनांक 12.09.2023 के द्वारा भिजवाई गई। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1434 दिनांक 20.06.2024 के द्वारा 89 राज0 काश्त अधिनियम में विस्तृत तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई शामिल पत्रावली हुई रिपोर्ट तहसीलदार का अध्ययन किया गया प्रार्थी ने विभाजन प्रस्ताव 2022 के अनुसार दुरूस्ती हेतु निवेदन किया सभी प्रभावित पक्षकारों की तरफ से वकील प्रार्थी उपस्थित है किसी ने ऐतराज नहीं किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:47:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रार्थना पत्र वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमांबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 नकल जमाबन्दी खाता संख्या 125, 239, 11, 107, 222 जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 नक्शा ट्रेस किश्तवार पेश किए गए।

–::आदेश::–

''न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम रायपुर अहीरान तहसील बुहाना में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 29/1 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 41/1 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 43/3 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 45/1 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 25 रकबा 0.68 है0, खसरा नम्बर 293 रकबा 0.29 है0, खसरा नम्बर 294 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 747 रकबा 0.67 है0, खसरा नम्बर 753/2 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 805/1 रकबा 0.18 है0, कुल किता 10 कुल रकबा 3.18 है0, प्रार्थी के हिस्से में आपसी सहमति से विभाजित किये गये खसरा नम्बरों जो प्रार्थी के हिस्से में आये जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है उक्त खसरा नम्बरान को नक्शा ट्रेस लठ्ठा शीट में रकबे अनुसार नक्शा ट्रेस को दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना से प्राप्त पत्रांक 1434 दिनांक 26.06.2024 तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट नक्शा प्रदर्श ''ब'' के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन सम्बधित खातेदार को प्राप्त होने वाले ख.न./रकबे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उक्तानुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार हो।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
जिला झुंझुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक ------------- को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:47:09 IST
Reason: SelfAttested